



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 32]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 28, 2014/माघ 8, 1935

No. 32]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 28, 2014/MAGHA 8, 1935

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

हैदराबाद, 22 जनवरी, 2014

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

(बीमा एजेंटों का लाइसेंसिकरण) (संशोधन) विनियम, 2013

फा. सं. बी.वि.वि.प्रा./विनियम/3/86/2014.— बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) की धारा 26 के साथ पठित बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धाराओं 42 और 114ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्राधिकरण बीमा सलाहकार समिति के साथ परामर्श करने के बाद बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा एजेंटों का लाइसेंसिकरण) विनियम, 2000 में आगे और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:—

(1) (i) ये विनियम बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा एजेंटों का लाइसेंसिकरण) (संशोधन) विनियम, 2013 कहलाएँगे।

(ii) ये विनियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा एजेंटों का लाइसेंसिकरण) विनियम, 2000 में,—

- (i) विनियम 7(1) में, शब्द “दो सौ पचास” शब्द “एक सौ पच्चीस” से प्रतिस्थापित किये जाएँगे।
- (ii) फार्म आईआरडीए-एजेंट-Vए के बिंदु सं. 4 में शब्द “दो सौ पचास” शब्द “एक सौ पच्चीस” से प्रतिस्थापित किये जाएँगे।
- (iii) फार्म आईआरडीए-एजेंट-Vसी के बिंदु सं. 4 में शब्द “दो सौ पचास” शब्द “एक सौ पच्चीस” से प्रतिस्थापित किये जाएँगे।
- (iv) फार्म आईआरडीए-एजेंट-Vए के पैरा टिप्पणियाँ और अनुदेश के बिंदु सं. 6 में शब्द “दो सौ पचास” शब्द “एक सौ पच्चीस” से प्रतिस्थापित किये जाएँगे।
- (v) फार्म आईआरडीए-एजेंट-Vसी के पैरा टिप्पणियाँ और अनुदेश के बिंदु सं. 3 में, शब्द “दो सौ पचास” शब्द “एक सौ पच्चीस” से प्रतिस्थापित किये जाएँगे।

टी. एस. विजयन, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/4/161/13/असा.]

INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY**NOTIFICATION**

Hyderabad, the 22nd January, 2014

**Insurance Regulatory and Development Authority
(Licensing of Insurance Agents) (Amendment) Regulations, 2013**

F. No. IRDA/Reg./3/86/2014.—In exercise of the powers conferred by sections 42 and 114A of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938) read with section 26 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999), the Authority, in consultation with the Insurance Advisory Committee, hereby makes the following regulations to further amend the Insurance Regulatory and Development Authority (Licensing of Insurance Agents) Regulations, 2000, namely:—

1. (i) These regulations may be called the Insurance Regulatory and Development Authority (Licensing of Insurance Agents) (Amendment) Regulations, 2013.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Insurance Regulatory and Development Authority (Licensing of Insurance Agents) Regulations, 2000,—

- (i) In regulation 7(1), the words "two hundred fifty" shall be substituted by the words "one hundred and twenty five".
- (ii) In Point No. 4 of Form IRDA-AGENTS-VA the words "two hundred fifty" shall be substituted by the words "one hundred and twenty five".
- (iii) In Point No. 4 of Form IRDA-AGENTS-VC the words "two hundred fifty" shall be substituted by the words "one hundred and twenty five".
- (iv) In point No. 6 of Notes and Instructions Para of Form IRDA-AGENTS- VA the words "two hundred fifty" shall be substituted by the words "one hundred and twenty five".
- (v) In point No. 3 of Notes and Instructions Para of Form IRDA-AGENTS-VC the words "two hundred fifty" shall be substituted by the words "one hundred and twenty five".

T. S. VIJAYAN, Chairman

[ADVT. III/4/161/13/Exty.]